न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–555/2026

सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026

बेचनी खातून उर्फ शकीला खातून – बनाम् – बिहार राज्य

उपस्थित,
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

08.06.2026

काराधीन आवेदिका/अभियुक्ता–**बेचनी खातून उर्फ शकीला खातून** की ओर से सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026, जी0आर0(आर0) सं0–19/26, धारा–103(1), 238, 3(5) BNS के अन्तर्गत दर्ज मामले में यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो शपथ–पत्र से समर्थित है, को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री सनोज कुमार सिंह के द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदिका/अभियुक्ता दिनांक **19.03.2026** से कारा अभिरक्षा में है। मूल अभिलेख प्राप्त है।

जमानत के बिन्दु पर आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से उनके विद्वान् अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अभियुक्त निर्दोष है एवं उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जाँच के दौरान उसका नाम केवल, इसलिए सामने आया है, क्योंकि वह कुछ सह– अभियुक्तों से संबंधित है, न कि उसके द्वारा किए गए किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य या प्रत्यक्ष कृत्य के कारण। आवेदिका, सह– अभियुक्ता अश्मीना खातून की माता है और सह–अभियुक्त मोहम्मद अंजर की सास हैं। प्राथमिकी में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आवेदिका ने कथित घटना में कभी भाग लिया हो या मृतक को किसी प्रकार की क्रूरता, धमकी, उकसाने या सहायता प्रदान की हो। आवेदिका, मृतका के साथ कभी नहीं रही और उसे मृतका के साथ नियमित संपर्क, संचार या बातचीत का कोई अवसर नहीं मिला था। अभियोजन पक्ष के मामले में स्वयं ही खुलासा किया गया है कि अभियुक्तों का निवास स्थान कथित घटनास्थल से लगभग

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–555/2026

सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026

लगातार

08.06.2026

30 किलोमीटर दूर स्थित है। उसकी मृत्यु से पहले, मृतका आवेदिका के निवास पर नहीं, बल्कि गुला खातून के घर पर रह रही थी। मृतका का शव कथित तौर पर मधेपुरा रेलवे प्लेटफार्म से अज्ञात और लावारिस हालत में बरामद किया गया था और जांच के दौरान आवेदिका को कथित मौत से जोड़ने वाली कोई सामग्री एकत्र नहीं की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मृतका के न तो पिता, न ही माता, न ही उसका पति, न ही उसका ससुर या सास ने वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई है एवं यह प्राथमिकी, मृतक की (भाभी) के द्वारा दर्ज की गई है, जिसका मृतका के साथ कथित घटना से लगभग 15–20 दिन पहले गंभीर विवाद था और उसने कथित तौर पर मृतका द्वारा दावा किए गए घर के एक हिस्से को ध्वस्त करने के बाद उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया था। सूचिका, आवेदिका के परिवार के प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखती है। आवेदिका और सूचिका के बीच आवेदिका के आवासीय घर के पीछे स्थित भूमि के एक टुकड़े को लेकर लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा है और केवल भूमि विवाद के कारण, सूचिका ने उसको झूठे आरोप में फंसाया है। कथित अपराध में आवेदिका की कोई भागीदारी नहीं है। आवेदिका मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होंगी। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत की सुविधा का लाभ देने का निवेदन करते हैं।

सूचिका मशरून खातून दिनांक 24.02.2026 को समय करीब 19:30 बजे रेल थाना सहरसा के पदाधिकारी के समक्ष दिये गये बयान के अनुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि उसकी छोटकी गोतनी आयशा खातून उर्फ काजल कुमारी, पति मो. खुर्शीद आलम का प्रेम निकाह वर्ष 2019 में हुई थी। दोनों अपने दाम्पत्य जीवन हँसी खुशी से गुजार रहे थे, उसी दौरान दो बच्ची का जन्म भी हुआ। इसी क्रम में सूचिका के गाँव का ही मो.

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0–555/2026
सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026

लगातार
08.06.2026

अंजार द्वारा गाँव में पंचायत की गई, तब सूचिका के देवर मुर्शीद के द्वारा अपनी पत्नी आयशा खातून उर्फ काजल कुमारी एवं दोनों बच्चियों को लेकर गाँव चला आया, जहाँ पर ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर मो. अंजार द्वारा उसकी गोतनी एवं दोनों बच्चियों को साथ लेकर अपनी बहन गुला खातून पति मो. मसकुर के यहाँ जाकर रहने लगी। दिनांक 24.02.26 को मोबाइल पर सोशल मिडिया समाचार द्वारा वीडियो दिखाया जा रहा था कि आयशा खातून उर्फ काजल कुमारी का कहीं से हत्या करके रेलवे स्टेशन दौरम, मधेपुरा में शव को रख दिया गया है। वीडियो में शव को देखकर उसकी पहचान अपनी गोतनी आयशा प्रवीण उर्फ काजल कुमारी एवं दोनों बच्चियों को पहचान करते हुए अपने परिजनों के साथ रेलवे स्टेशन मधेपुरा पहुँची, जहाँ पर सूचिका अपने मृतक गोतनी आयशा प्रवीण उर्फ काजल कुमारी के शव को देखा, जिसके गर्दन पर फंदे का निशान जैसा पाया। घटना से पूर्व उसकी गोतनी द्वारा अपने पति मुर्शीद के मोबाइल पर अपने जान का खतरा मो. अंजार एवं उसके परिजनों से होने की बात बतायी थी, ऐसा प्रतीत होता है की मो. अंजार एवं उसके परिजनो के द्वारा उसकी गोतनी का लगा दवाकर हत्या कर दिया गया तथा लाश को छुपाने के लिए, लाश एवं दोनों बच्चियों को साथ लाकर रेलवे स्टेशन मधेपुरा के प्लेटफार्म सं 02 के पूर्वी छोर पर स्थित ढलाई बेंच पर सुताकर एवं बच्चियों को उसके पास बैठकर बहाना बनाकर कही चला गया। सूचिका का दावा है की उसकी गोतनी की हत्या मो. अंजार एवं उसके परिजन के द्वारा मो. अंजार के बहन गुला खातून के घर पर ही गला दवाकर हत्या कर दी गयी तथा उसके लाश को टेम्पू से लाकर दोनों बच्चियों के साथ स्टेशन पर बैठा दिया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का पुरजोर विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।

जमानत आवेदन सं0–555/2026

सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026

लगातार

08.06.2026

उभय पक्ष को सुना। मूल अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में अप्राथमिकी आवेदिका सहित अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर समान आशय सूचिका की गोतिनी को गला दबा कर हत्या कर लाश को टेम्पू से लाकर दो बच्चियों के साथ रेलवे स्टेशन पर बैठा देने का गम्भीर आरोप है। आवेदिका इस काण्ड की नामित अभियुक्ता नहीं है तथा इसका नाम इस मामले में सह–अभियुक्त अस्मीना खातून एवं मो0 अन्जार के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है, स्वीकारोक्ति बयान अभिलेख के साथ संलग्न है। इसके अलावे, काण्ड दैनिकी की कंडिका–15 में वादिनी का पुनः बयान दर्ज है तथा कंडिका–16, 17, 18, 54 एवं 55 में अन्य साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसमें सभी ने घटना का समर्थन किया है। कंडिका–5 में मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन दर्ज है, जिसमें मृत्यु का कारण गला दबना का उल्लेख है। कंडिका–75, 76 एवं 77 में साक्षियों का बयान दर्ज है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ग्रामीणों की उपिस्थति में जाँच के क्रम में सह–अभियुक्त गुला खातून के फूस के मकान के कमरा में पलंग के नीचे से चुड़ी का टुकड़ा एवं सुनहले रंग का रोल्ड गोल्ड का बना हुआ दिलनुमा आकृति का लॉकेट एवं नायलॉन की रस्सी बरामद हुआ, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। कंडिका–85 में अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन दर्ज है, जिसमें मृत्यु गला दबने के कारण हुआ है। कंडिका–110 में आवेदिका/अभियुक्ता का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज है, जिसमें उसने कथित अपराध कारित किये जाने में अपना दोष स्वीकार किया है तथ घटना का अंजाम अन्य सह–अभियुक्तों साथ मिलकर दिया गया है। कंडिका–119 के अनुसार, आवेदिका सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी धाराओं के अन्तर्गम मामला सत्य पाया गया है। कारित अपराध मानव वध से संबंधित अत्यंत ही गम्भीर प्रकृति का अपराध है तथा

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया।
जमानत आवेदन सं0–555/2026
सहरसा रेल थाना काण्ड सं0–07/2026

लगातार
08.06.2026

काण्ड अभी अनुसंधान के क्रम में है, ऐसी दशा में आवेदिका अभियुक्ता को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदिका अभियुक्ता की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	08.06.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	11.06.26
Uploading by	(D.E.O.)